न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—मुनिदेव यादव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या—56 / 19
जगदीश आयु 37 साल दत्तक पुत्र प्रभू जाति बाबाजी नि0 ग्राम बरखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वैर जिला भरतपुर राज0

—असल प्रतिवादी

जग्गो पत्नी प्रकाश आयु 50 साल जाति जाट नि0 ग्राम अजरौंदा तह0 वैर, भरतपुर।
लक्ष्मन आयु 65 साल पुत्र गोकलदास जाति बाबाजी नि0 ग्राम अजरौंदा तह0 वैर, भरतपुर।
निरी आयु 55 साल पत्नी लेखराज नि0 ग्राम अजरौंदा तह0 वैर, भरतपुर।
रवि आयु 28 साल पुत्र लेखराज नि0 ग्राम अजरौंदा तह0 वैर, भरतपुर।
बंटी आयु 25 साल पुत्र लेखराज नि0 ग्राम अजरौंदा तह0 वैर, भरतपुर।
संटी आयु 20 साल पुत्र लेखराज नि0 ग्राम अजरौंदा तह0 वैर, भरतपुर।

—तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए. एक्ट

उपस्थिति वादीगण की ओर से श्री चदन सिंह डागुर एडवोकेट।
प्रतिवादी की ओर से श्री नायब तहसीलदार पैरोकार सरकार एडवोकेट।

निर्णय

दिनांक 10.03.2022

वाके ग्राम अजरौंदा तहसील वैर में स्थित आराजी ख0न0 425 रकवा 0.3500, 426 रकवा 0.6700है0 रकवा 1.0200है। में वादी 1/6 हिस्से का रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। व शेष आराजी में प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबंदी रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हैं। और उसी के मुताबिक राज0 सरकार को राज लगान अदा करते चले आ रहे हैं। उपरौक्त आराजी वादी ने अपने ताउ कमरपाल से जरिये कबाला वयनामा दिनांक 05.09.2006 को क्रय की थी। उक्त आराजी क्रय करने से पूर्व वादी बचपन में अपने पिता लक्ष्मण व माता रामदई नि0 अजरौंदा द्वारा गोद देने पर प्रभू पुत्र मनोहर नि0 बरखेडा तह0 बयाना के यहां विधिवत गोद चला गया जिसका गोदनामा दिनांक 10.05.1999 को रूबरू सब रजिस्ट्रार बयाना के यहां तहरीर व तश्दीक करवाया गया था। वादी द्वारा उक्त आराजी ख0न0 301 व 302 जिनके नये न0 425 रकवा 0.3500, 426 रकवा 0.6700है0 के क्रय करते वक्त वयनामा में सहवन से जगदीश दत्तक पुत्र प्रभू जाति बाबाजी के स्थान पर पूर्व के नाम

व पते जगदीश पुत्र लक्ष्मन जाति बाबाजी नि0 ग्राम अजरौंदा तह0 वैर गलत अंकित हो गये। वादी की उक्त आराजी ख0न0 425 रकवा 0.3500, 426 रकवा 0.6700है0 के रेवन्यू रिकार्ड में वादी की वल्दीयत लक्ष्मन व नि0 स्थान अजरौंदा गलत दर्ज होने से व अन्य आराजीयात व दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय–पत्र, वोटर लिस्ट आदि में वल्दीयत दत्तक पुत्र प्रभू व नि0 स्थान ग्राम बरखेडा तह0 बयाना सही दर्ज होने से अपनी उक्त आराजी से मिलने वाले लाभ व परिलाभों से व बैंक से ऋण लेने आदि की सुविधा से वंचित होना पड रहा है। व विभिन्न अडचनें आ रही है। इसलिए वादी अपने उक्त आराजी के रेवन्यू रिकार्ड में जगदीश पुत्र लक्ष्मन जाति बाबाजी नि0 ग्राम अजरौंदा तह0 वैर के स्थान पर जगदीश दत्तक पुत्र प्रभू जाति बाबाजी नि0 ग्राम बरखेडा तह0 बयाना शुद्व करवाकर रेवन्यू रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। इस अशुद्वि का अनुभव वादी को दिनांक 14.05.2019 को हुआ है। जिसके बाबत् वादी ने प्रतिवादी असल से रेवन्यू रिकार्ड में दिनांक 12.06.2019 को वादी की वल्दीयत व निवास स्थान का शुद्व करने को कहा तो प्रतिवादी असल ने वादी की वल्दीयती व पते निवास स्थान को सही करने से इंकार कर दिया और अदालत से शुद्व करने की सलाह दी। वादी की वल्दीयत दत्तक पुत्र प्रभू व निवास स्थान ग्राम बरखेडा तह0 बयाना उक्त आराजी के कागजात पटवार रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से वादी को सख्त हकतहफी व वरवादी हो रही है। और वादी अपनी उक्त आराजी बाबत् बैंक व सरकार द्वारा देय सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। और वादी को अपरमित क्षति हो रही है। वादी वजह वादी अपनी वल्दीयती व निवास स्थान जरिये अदालत शुद्व करा पाने का अधिकारी है। वाद का कारण दिनांक 12.06.2019 को प्रतिवादी द्वारा वादी की वल्दीयत प्रभू व निवास स्थान ग्राम बरखेडा तह0 बयाना दुरूस्त करने से इंकारी करने पर व मुकाम वैर में पैदा हुआ है। अतः दावा अंदर अवधि में पेश है। वाद अर्जेंट नेचर व इमीडियेट नेचर का है। इसलिए वादी द्वारा प्रतिवादी असल को धारा 80 सीपीसी का नाटिस दिया जाना सम्भव नहीं हो सका है। इसलिए यह वाद धारा 80(2) सीपीसी के तहत पेश है। प्रार्थना पत्र परमीशन अलग से पेश है।

प्रकरण दर्ज रजि0 किया गया प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी असल द्वारा लिखित में जबाब पेश कर जाहिर किया की वादी जगदीश 25 वर्ष पूर्व से ग्राम अजरौंदा से तह0 बयाना में प्रभू पुत्र मनोहर जाति बाबाजी द्वारा गोद लिया गया है। जगदीश पुत्र लक्ष्मन को दिनांक 10.05.1999 को गोदनामा उप–पंजीयक बयाना द्वारा पंजीवद्व है। अतः जगदीश लक्ष्मन का पुत्र है किंतु अब गोदनामा के पश्चात जगदीश दत्तक पुत्र ही बोला जायेगा। उक्त वाद के सबंध में वादी ने मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वंय वादी जगदीश ने शपथ पत्र पीडल्यू 1 लक्ष्मन पीडल्यू 2 सीताराम पीडल्यू 3 मोतीराम पीडल्यू 4 व तुलाराम पीडल्यू 5 के बयान शपथ पत्र पेश कर लेखवद्व कराये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य अपने दावे के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2074 वाके ग्राम अजरौंदा प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सवंत् 2065 लगायत 2068 वाके

ग्राम वरखेडा न गोदनामा प्रदर्श 3/ए विक्रय पत्र कमरपाल बनाम जगदीश प्रदर्श 4/ए राशन कार्ड वादी प्रदर्श 5/ए आधार कार्ड प्रदर्श 6/ए भामाशाह कार्ड प्रदर्श 7/ए को प्रदर्शित करवाया।

बहस सुनी गई वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वाके ग्राम अजरौंदा तह0 वैर में स्थित आराजी ख0न0 425 रकवा 0.3500है0 व ख0न0 426 रकवा 0.6700 है0 में वादी 1/6 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। उक्त आराजी वादी ने अपने ताउ कमरपाल से जरिये वयनामा 05.09.2006 को क्रय की थी। उक्त आराजी क्रय करने से पूर्व वादी वचपन में ही पिता लक्ष्मन व माता रामदेई द्वारा गोद देने पर प्रभू पुत्र मनोहर जाति बाबाजी नि0 बरखेडा तह0 बयाना के यहां विधिवत गोद चला गया जिसका गोदनामा दिनांक 10.05.1999 को उप–पंजीयक बयाना के समक्ष तहरीर व तश्दीक करवाया गया लेकिन वादी द्वारा आराजी ख0न0 301व 302 जिनके नये ख0न0 क्रमशः 425 व 426 के क्रय करते वक्त वयनामा में सहवन से जगदीश दत्तक पुत्र प्रभू जाति बाबाजी नि0 बरखेडा तह0 बयाना के स्थान पर पूर्व के नाम पते जगदीश पुत्र लक्ष्मन जाति बाबाजी नि0 ग्राम अजरौंदा गलत अंकित हो गये उक्त आराजी के रेवैन्यू रिकार्ड में वादी की वल्दीयत लक्ष्मण व निवास स्थान अजरौंदा गलत दर्ज होने से व अन्य आराजीयात में एवं दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह आदि में वल्दीयत दत्तक पुत्र प्रभू व निवास स्थान ग्राम बरखेडा तह0 बयाना सही दर्ज होने से अपनी उक्त आराजी से मिलने वाले लाभ–परिलाभों से एवं बैंक आदि से ऋण लेने से सुविधा से वंचित होना पड रहा है और विभिन्न अडचनें आ रही है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी के रेवेन्यू रिकार्ड में जगदीश पुत्र लक्ष्मन जाति बाबाजी नि0 ग्राम अजरौंदा तह0 वैर के स्थान पर जगदीश दत्तक पुत्र प्रभू जाति बाबाजी नि0 ग्राम बरखेडा तह0 बयाना शुद्व किया जावे ।

उभय पक्ष की बहस व तर्को पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से वादी जगदीश की वल्दीयत लक्ष्मण के स्थान पर दत्तक पुत्र प्रभू नि0 ग्राम बरखेडा तह0 बयाना शुद्व किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर विरूद्व प्रतिवादी असल डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि आराजी ख0न0 425 रकवा 0.3500 व 426 रकवा 0.6700हैक्टे0 किता 2 कुल रकवा 1.0200हैक्टे0 वाके ग्राम अजरौंदा तह0 वैर में वादी की वल्दीयत लक्ष्मण एवं निवास स्थान ग्राम अजरौंदा तह0 वैर को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर जगदीश दत्तक पुत्र प्रभू निवासी ग्राम बरखेडा तह0 बयाना खातेदार काश्तकार रेवेन्यू रिकार्ड कागजात पटवार में दर्ज किया जावे। तदानुसार पर्चा डिग्री बनाया जावे खर्चा मुकदमा पक्षकारान

अपना–अपना बहन करेंगे पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
उपखण्ड अधिकारी
वैर, भरतपुर